



2026:AHC: 54575

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2142/2025

अनिल कुमार

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता	: आयुश कौशिक
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, जय प्रकाश प्रसाद, राकेश यादव

न्यायालय संख्या- 85

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन किया गया। वर्तमान पुनरीक्षण पर बल देने के लिए विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
- वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मेरठ द्वारा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल वाद संख्या 19 वर्ष 2015 (श्रीमती सीमा बनाम अनिल कुमार) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29.03.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तिथि से विपक्षी संख्या 2 (पत्नी) को 15,000/- रुपये प्रति माह और विपक्षी संख्या 3 को 10,000/- रुपये प्रति माह की भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
- चूँकि पुनरीक्षणकर्ता और विपक्षी संख्या 2 क्रमशः पति और पत्नी हैं और उनके बीच का विवाद वैवाहिक प्रकृति का था, इसलिए इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आदेश दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



24.07.2025 के माध्यम से मामले को उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद को भेजा गया था।

4. आज मामला प्रस्तुत किए जाने पर, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और ए.जी.ए. प्रस्तुत करते हैं कि आदेश दिनांक 24.07.2025 के अनुसरण में, दोनों पक्षकार उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद के समक्ष उपस्थित हुए और दोनों पक्षकारों ने 09.12.2025 को मध्यस्थता केंद्र के समक्ष निपटान करार कर लिया है। अंतिम निपटान करार दिनांक 09.12.2025 की प्रमाणित प्रति भी वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण की आदेश-पत्रिका के साथ अभिलेख पर लाई गई है।

5. सुलभ संदर्भ के लिए, अंतिम निपटान करार का प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 7 नीचे उद्धृत है:

"(क) यह कि पक्षकारों ने पहले ही अपना विवाद सुलझा लिया है और अपना विवाह विघटित करने का निर्णय लिया है और इस संबंध में उन्होंने प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मेरठ के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-ख के अंतर्गत एक याचिका दाखिल किया है, जो विवाह याचिका संख्या 2964/2025 के रूप में दर्ज है। पक्षकार माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के समय पूर्वोक्त विवाह विच्छेद (तलाक) याचिका और आदेश-पत्रिका की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेंगे। पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि वे किसी भी रूप में इस निपटान से पीछे नहीं हटेंगे और अनावश्यक बाधा उत्पन्न किए बिना इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएंगे।

(ख) यह कि पक्षकारों के बीच यह पहले ही तय हो चुका है कि पति स्थायी निर्वाह व्यय, स्त्रीधन सहित भरण-पोषण और उसके सभी अन्य वित्तीय दावों के मद में पत्नी को 1,00,00,000/- रुपये (केवल एक करोड़ रुपये) की राशि का भुगतान करेगा। पूर्वोक्त राशि का भुगतान उसके पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा। इस राशि को प्राप्त करने के बाद, वह किसी भी परिस्थिति में किसी भी रूप में पति और उसके परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकृति के किसी भी अतिरिक्त भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं होगी और न ही वह किसी भी परिस्थिति में या किसी भी विधि के अंतर्गत पति या उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति में कोई दावा पेश करेगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ग) यह कि अंतरिम निपटान दिनांक 02.12.2025 के प्रस्तर 7 (ग) के अनुसार, पति ने सीमा प्रधान (पत्नी) के पक्ष में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आहरित 30,00,000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट संख्या 001765 दिनांक 26.11.2025 प्रस्तुत किया है, जिसे अभिलेख पर रखा गया था और आज अर्थात् 09.12.2025 को इसे पत्नी को सौंपा जा रहा है और उसने इसकी प्राप्ति स्वीकार कर ली है।

(घ) यह कि अंतरिम निपटान दिनांक 02.12.2025 के प्रस्तर 7 (ग) में तय किए गए अनुसार, आज अर्थात् 09.12.2025 को, पति ने विपक्षी संख्या 2 को सीमा प्रधान के पक्ष में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आहरित 30,00,000/- रुपये (केवल तीस लाख रुपये) का एक डिमांड ड्राफ्ट संख्या 001773 दिनांक 03.12.2025 सौंपा है और उसने इसकी प्राप्ति स्वीकार कर लिया है।

(ङ) यह कि पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई है कि शेष राशि अर्थात् 40,00,000/- रुपये (केवल चालीस लाख रुपये) का भुगतान अनिल कुमार (पुनरीक्षणकर्ता - पति) द्वारा श्रीमती सीमा (विपक्षी संख्या 2 - पत्नी) को परिवार न्यायालय, मेरठ के समक्ष पूर्वोक्त विवाह याचिका संख्या 2964 वर्ष 2025 में अंतिम निर्णय/डिक्री के समय उसके पक्ष में आहरित राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।

(च) यह कि पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई है कि वर्तमान विवाद के संबंध में उनके द्वारा एक-दूसरे या उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दाखिल सभी सिविल और आपराधिक वाद, यदि कोई हों, संबंधित पक्षकारों द्वारा संबंधित न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष उचित कदम उठाकर वापस ले लिए जाएंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के समय उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

(छ) यह कि दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि उनके एक-दूसरे के विरुद्ध कोई अतिरिक्त दावे या दायित्व नहीं हैं और वर्तमान विवाद से संबंधित किसी भी मुकदमे को किसी भी रूप में नहीं लड़ने का वचन देते हैं।

(ज) यह कि पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई है कि वे इस निपटान के निबन्धनों और शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. उपरोक्त निपटान करार के दृष्टिगत, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निपटान करार में दर्ज दोनों पक्षकारों के इस बयान का संदर्भ देते हुए कि इस करार पर हस्ताक्षर करके इसके पक्षकार यह कहते हैं कि आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2142 वर्ष 2025 वाले वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण के संबंध में एक-दूसरे के विरुद्ध उनका कोई अतिरिक्त दावा नहीं है और इस संबंध में सभी विवादों तथा मतभेदों को इसके पक्षकारों द्वारा सुलह/मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है, प्रस्तुत किया कि पूर्वोक्त आपराधिक मामले की संपूर्ण कार्यवाहियां इस न्यायालय द्वारा रद्द की जा सकती हैं।

7. विद्वान ए.जी.ए. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्तुतीकरण का खंडन नहीं कर सके।

8. यह न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:

1. बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य; (2003) 4 एस.सी.सी. 675,
2. निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो; (2008) 9 एस.सी.सी. 677, 3. मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य; (2008) 16 एस.सी.सी. 1, 4. ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य; (2012) 10 एस.सी.सी. 303, 5. नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य; (2014) 6 एस.सी.सी. 466, और 6. रामगोपाल और एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य; 2021 लीगल ईगल (एस.सी.) 569.

9. पूर्वोक्त निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि कुछ संज्ञेय और अशमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के बीच समझौता किया जा सकता है।

10. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए, न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि उपर्युक्त आपराधिक वाद की कार्यवाहियों को लंबा खींचने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि पक्षकारों ने अपना विवाद पहले ही सुलझा लिया है।

11. तदनुसार, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मेरठ द्वारा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल वाद संख्या 19 वर्ष 2015 (श्रीमती सीमा बनाम अनिल कुमार) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29.03.2025 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

12. तदनुसार, यह आपराधिक पुनरीक्षण **स्वीकार** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17 मार्च, 2026

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”